न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, हिलसा (नालन्दा)

जमानत आवेदन सं–123/2026

उमाशंकर प्रसाद उर्फ शंकर यादव बनाम बिहार राज्य

16.03.2026 काराधीन आवेदक/अभियुक्त **उमाशंकर प्रसाद उर्फ शंकर यादव पे0 कारू गोप**, जो हिलसा थाना काण्ड सं–40/2025 (अन्तर्गत धारा–25(1–बी)ए, 26/35 शस्त्र अधिनियम) में दिनांक 13.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार द्वारा प्रचालित किया गया। जमानत आवेदन की सुनवाई हेतु मांगी गई मूल अभिलेख एवं वाद दैनिकी प्राप्त है।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान निवेदन किया गया है कि आवेदक की ओर से पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन सं–164/26 दाखिल किया गया था, जिसे आवेदक के गिरफ्तार हो जाने के कारण वापस ले लिया गया है। इसके अलावे सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में किसी भी प्रकार की जमानत की अर्जी दाखिल नहीं की गई है। आवेदक के विरूद्ध इस केस के अलावे एक अन्य मुकदमा दर्ज है, जिसमें जमानत पर है। आवेदक दिनांक 13.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक निर्दोष है, जिसे ग्रामीण राजनीति के तहत गलत अभियोग के आधार पर झूठा फंसाया गया है। आवेदक के कब्जे से किसी भी प्रकार का शस्त्र बरामद नहीं हुआ है। सह अभियुक्त को बी0पी0नं–49/25 से जमानत दिया गया है। इन तर्को के आलोक में आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

3. विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

4. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् अभिलेख आज आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद में धारा– 25(1–बी)ए, 26/35 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यद्यपि इस संदर्भ में इस वाद के अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 19.01.2025 को जब सूचक पू.अ.नि. सुजीत कुमार आदि द्वारा आवेदक अभियुक्त के घर पर छापामारी की गई तो इनके घर से एक देशी कट्टा बरामद किया गया एवं सह अभियुक्त रौशन कुमार को गिरफ्तार किया गया था, किन्तु आवेदक अभियुक्त घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किये गये हैं एवं घटनास्थल से गिरफ्तार सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में हो चुकी है एवं आवेदक अभियुक्त इस वाद में दिनांक 13.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है एवं इस वाद में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं मामले के परिस्थितियों पर विचारोपरान्त आवेदक अभियुक्त को 10000रू0 एवं समान राशि के दो प्रतिभू के साथ जमानत बन्धपत्र दाखिल किये जाने पर विद्वान निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Pandey

(आलोक कुमार पाण्डेय–1)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– I, हिलसा